भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1458

उत्तर देने की तारीख: 29.07.2025

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति

1458. प्रो. सौगत राय:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई नई राष्ट्रीय नीति लागू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी नीति भारत के भविष्य की जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करेगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने 2047 में वरिष्ठ नागरिकों के प्रस्तावित प्रतिशत का अनुमान लगाया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999, जो पहले से ही लागू है, में वृद्धजनों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आश्रय, संरक्षण और अन्य आवश्यकताएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। समय के साथ एक नई नीति लाने की आवश्यकता है।

(ग): राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2036 के बीच, वृद्धजनों (60 वर्ष और उससे अधिक) की जनसंख्या का अनुपात 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर 2036 में 23 करोड़ हो जाने का अनुमान है - इस प्रकार कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो जाएगी।

*****